Acm आमेर जु. जयपुर

फर्द अहकाम

कैलाश बनाम गोपाल

नाम न्यायालय TC

केस संख्या 77/25

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
	25-12-2025	पत्रावली प्रस्तुत। वादी के अधि0 द्वारा प्रस्तुत तर्कों, पत्रावली के आधार पर प्रा0पत्र गुण-दोष पर स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 25/6/2025 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार विचारण हेतु लगाई जावे। बिखरवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी: सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 77/2025 प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 25.06.2025

कैलाश पुत्र लाला जाति खाती निवासी ग्राम राजावास तहसील रामपुराडाबडी जिला जयपुर।

– प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र कानाराम जाति जाट
2. गोठी पुत्री चोथमल जाति जाट
3. मुकेश पुत्र चोथमल जाति जाट
4. मन्नी देवी पत्नी चोथमल जाति जाट
5. ममता पुत्री चोथमल जाति जाट
6. रेखा पुत्री चोथमल जाति जाट
7. राकेश पुत्र चोथमल जाति जाट
8. रामचन्द्र पुत्र लल्लूरामजती जाट
9. सुमन पुत्री चोथमल जाति जाट
10. सेडू पुत्र चोखाराम जाति जाट समस्त निवासी ग्राम राजावास तहसील रामपुराडाबडी जिला जयपुर।
11. भगवान सहाय पुत्र चन्दाराम जाति मीणा निवासी ग्राम नांगलपुरोहित जयपुर।
12. रमेश चन्द पुत्र जगदीश प्रसाद
13. रामकिशोर पुत्र जगदीश प्रसाद
14. रामपाल पुत्र जगदीश प्रसाद
    समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम छंवर का बास तहसील रामपुराडाबडी जिला जयपुर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

.........अप्रार्थीगण

16. अशोक पुत्र लल्लूराम
17. आत्माराम पुत्र लल्लूराम
18. बनवारी पुत्र लल्लूराम
19. बाबूलाल पुत्र लल्लूराम
20. रामचन्द्र पुत्र लल्लूराम
21. विमल पुत्र लल्लूराम
    समस्त जाति खाती निवासी राजावास तहसील रामपुराडाबडी जिला जयपुर

........तरतीबी अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 24.12.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि राजस्व ग्राम राजावास पटवार हल्का नांगल सिरस मु. अ.गि. खोसबीसल तहसील रामपुराडाबडी जिला जयपुर के खाता संख्या 142 पुराना 126 के खसरा नम्बर 722 रकबा 0.4000 हैक्टेयर स्थित है। जिसका प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई सम्बंध व सरोकार नही है। तथा वाद पत्र के आगे के मदो में खसरा नम्बर 722 को विवादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जावेगा। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा अपने

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

खेत के चारो ओर कच्ची मिट्टी की डोल व तारबंदी लगाकर अपनी आराजी का उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक व बाधा के करते चले आ रहे है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 722 के दक्षिण दिशा में प्रतिप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 723 रकबा 0.1000 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी की भूमि से अप्रार्थीगण का कोई सम्बंध व सरोकार नही है। अप्रार्थीगण अपने खसरा नम्बर 723 के बडे हुये नक्शे की आड में प्रार्थी की आराजी में अवैध अतिक्रमण करना चा रहे है तथा इस सम्बंध में प्रार्थी द्वारा घोषणा व नक्शा दुरूस्ती का वाद भी पेश कर रखा है जो लम्बित है। 5. यह कि विवादित आराजीयात से अप्रार्थीगण का कोई सम्बंध व सरोकार नही है प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर काबिज है तथा अप्रार्थीगण जो कि प्रार्थी की आराजी के दक्षिणी सीमा के खातेदार काश्तकार है जो आये प्रार्थी की सीमा में आये दिन दखल अंदाजी करते रहते है तथा सीमा चिन्हो को नष्ट करते रहते है। अप्रार्थीगण जो कि प्रार्थी से रंजीश रखते है तथा प्रार्थी की भूमि सीमा में घुस कर अनावश्यक रूप से कब्जा करना चाहते है जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नही है। दिनांक 20–06–2025 को अप्रार्थीगण प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 722 की दक्षिणी सीमा पर पत्थर की ट्रोलिया डाल दी तथा दिनांक 23–06–2024 को प्रार्थी की बनी मिट्टी की डोल को हटाते हुये सीमा चिन्ह नष्ट करते हुये नीव खोदने लगे जिसका प्रार्थी ने पुरजोर विरोध किया परन्तु मोके पर भीड एकत्रित हो जाने से तत्समय तो अप्रार्थीगण मौके चले गये तथा जाते जाते ऐलानिया धमकी दे गये कि हम मौका पर यहा पक्का निर्माण कर दुकाने व कॉम्पलेक्स बनायेगें। उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 722 पर प्रार्थी व अन्य सहअधिकारी काबिज होकर समस्त प्रकार के लाभ अर्जित करता चले आ रहा है अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई सम्बंध व सरोकार नही है। 8. यह कि अप्रार्थीगण भू माफिया किस्म के लोग है जो नाजायज रूप से खातेदारो की जमीनो पर अतिक्रमण कर कब्जा करने के आदी है। उक्त विवादित भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बंध व सरोकार नही है। अप्रार्थीगण नाजायज रूप से प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नही है इसके विपरीत प्रार्थी को यह अधिकार हासिल है कि वह अपनी आराजी की सुरक्षा के लिये अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि के चारो ओर पुख्ता कच्ची डोल व तारबंदी कर रखी है जिनका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण द्वारा निर्बाध रूप से आज दिनांक तक किया जाता रहा है। अ[illegible] भू माफिया गिरोह से मिली भगत करते हुये है दिनांक 23–06–2025 को अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] की भूमि खसरा नम्बर 722 की दक्षिणी सीमा पर कच्ची पुख्ता डोल को तोडते हुये [illegible] कब्जा करने की कोशिश करते हुये नीव खोदने से तथा ऐलानिया धमकी दी की हम शीघ्र ही तुम्हारी कच्ची डोल हटाकर पुख्ता [illegible] कृषि भूमि पर पुख्ता निर्माण कर दुकाने व कॉम्पलेक्स बनायेगे। प्रार्थी का न्याय एवं न्यायिक प्रक्रियाओ पर पूर्ण विश्वास है इसलिये प्रार्थी ने माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ उक्त वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी खातेदारी की भूमि की सुरक्षा करे तथा अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:18:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर न्.. जयपुर

कब्जा करावे को वो प्रार्थीगण की कृषि भूमि में किसी प्रकार की सनाक्रमण नवाक्रमण न तो स्वयं करे न ही अपने ऐजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादी से करावे इस कारण प्रार्थीगण द्वारा यह वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। दिनांक 2025 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि में जबरन कब्जा करने की कोशिश करने पर वाद कारण उत्पन्न होने पर यह वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण अगर अपने मनसूबों में सफल हो गये तो प्रार्थी को अतुलनीय क्षति कारित होगी। जिसकी क्षति पूर्ति भविष्य में संभव नही होगी। प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर कृषि कार्य कर रहा है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या केस है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र सुनकर निर्णित करने श्रीमान् को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबन्द फरमाया जाकर राजस्व ग्राम राजावास पटवार हल्का नांगल सिरस मु.अ.नि. चौराबीसल तहसील रामपुराडाबडी जिला जयपुर के खाता संख्या 12 पुराना 125 के खसरा नम्बर 722 रकबा 0.4000 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण अपने खसरा नम्बर 723 की आड में आराजी खसरा नम्बर 722 की सीमाओं में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे, ना ही तारबंदी मिट्टी की डोल को हटाय ना ही कच्चा पक्का निर्माण ही करे अर्थात खसरा नम्बर 722 दक्षिणी व 723 की उत्तरी सीमा पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करे। उक्त कृत्य न तो स्वंय करे ना ही अपने–अपने परिवारजनों, एजेन्ट, प्रतिनिधि, सर्वेन्ट इत्यादि को भी निरूद्ध रखें तथा मौका की यथास्थिति बनायी रखें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1, 4, 7, 10, 8, 3, 12, 13, 14, 20 की ओर से जवाब दावा सादर प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित तथ्य प्रार्थी ने माननीय न्यायालय हाजा में अवश्य प्रस्तुत किया है परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र सर्वथा मिथ्या, निराधार, अनुचित, गैर कानूनी तथ्यों पर आधारित होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जानें योग्य है जिसमें प्रार्थी को कत्तई सफलता नहीं मिल सकती है। उक्त प्रार्थना पत्र में सफलता की आशा रखना निरर्थक एंव व्यर्थ है। और केवल मात्र कल्पना है। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 2 में वर्णित कथन प्रार्थीगण स्वयं साबित करें। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 3 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, अस्वीकार हैं। प्रार्थी की भूमि का किसी भी प्रकार से नक्शा छोटा नही हुआ ना ही मिन उत्तरदातागण की भूमि का नक्शा बढ़न हुआ है बल्कि प्रार्थी व मिन उत्तरदातागण पूर्व अनुसार काबिज काश्त हैं। प्रार्थी द्वारा जो वाद घोषणा व नक्शा दुरुस्ती का प्रस्तुत करना बताया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:51 IST
Reason: SelfAttested

है उसमें ना तो मिन उत्तरदातागण को किसी प्रकार से पक्षकार बनाया गया है ना ही मिन उत्तरदाता से किसी प्रकार का कोई अनुतोष चाहा गया है। परेशान करने की गरज से उक्त पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 6 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। मिन उत्तरदातागण अपनी कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज काश्त है मिन उत्तरदातागण प्रार्थी की भूमि पर किसी प्रकार से कोई कब्जा नहीं करना चाहते हैं। प्रार्थी ने उक्त वाद केवल मात्र मिन उत्तरदातागण को हैरान परेशान करने की गरज से असत्य बनावटी मनगढंत तथ्यों पर पेश किया है जो मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 7 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। उक्त मद में वर्णित दिनांक 20/6/2025 को मिन उत्तरदातागण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर किसी प्रकार के कोई पत्थर आदि नही डाले गये, ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने का प्रयास किया गया है प्रार्थी द्वारा उक्त मद में समस्त कथन केवल मात्र वादकारण अंकित करने की गरज से मनगढंत अंकित किये है प्रार्थी का वाद विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 8 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थी स्वयं एक भू–माफिया किस्म का व्यक्ति है जो स्वयं की भूमि की आड़ में पडौसी खातेदारों की भूमि को विवादित कर उनसे अनुचित धनराशि की मांग करता है इसी उद्देश्य से प्रार्थी ने उक्त वाद मिन उत्तरदातागण के विरूद्ध पेश किया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 9 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। मिन उत्तरदातागण एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है विधि के प्रावधानो के अनुसार एक पडौसी खातेदार काश्तकार दूसरे पडौसी खातेदार काश्तकार को उसकी भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 10 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। जैसा कि मिन उत्तरदातागण द्वारा वादोत्तर के मद संख्या 7 में स्पष्ट अंकित किया जा चुका है कि प्रार्थी द्वारा उक्त मद में समस्त कथन मनगढंत बनावटी वादकारण अंकित करने की गरज से दर्ज किये हैं। उक्त दिनांक को प्रार्थी व मिन उत्तरदातागण के मध्य किसी प्रकार की कोई वार्तालाप नही ना ही मिन उत्तरदाता ने किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने की कौशिश की है प्रार्थी मिन उत्तरदातागण को किसी प्रकार का निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 11 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थी मिन उत्तरदातागण को किसी प्रकार से निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 12 जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। उक्त मद में वर्णित दिनांकित 23/6/2025 को प्रार्थी एवं मिन उत्तरदातागण के मध्य किसी प्रकार की कोई वार्तालाप नही हुई। प्रार्थी को किसी भी प्रकार का कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ। प्रार्थी का वाद वादकारण के अभाव में एवं विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 13 जिस प्रकार से वर्णित किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:18:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

है, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थी मिन उत्तरदातागण को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है। एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को उसके हिस्से की भूमि पर पूर्ण रूप से उपयोग उपभोग करने का हक व अधिकार प्राप्त हैं। यदि मिन उत्तरदाता को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो मिन उत्तरदाता को अपूर्तनीय क्षति होगी। प्रार्थी का वाद खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 14 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन नही हैं। 15 यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 15 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है अस्वीकार है प्रार्थी ने किस नियम व उप नियम के तहत कितनी कोर्ट फीस अदा की है स्पष्ट अंकित नही होने से प्रार्थी का वाद अपूर्ण कोर्ट फीस के आधार पर खारिज किये जाने योग्य हैं। अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में अपने हिस्से का विक्रय पत्र पिता से करवा लिया था तथा अपने पिता की सम्पत्ति में विरासत के आधार पर कोई हक व हिस्सा नही होने एवं भविष्य में हिस्सा प्राप्त नहीं करने बाबत् प्रार्थी ने दिनांक 12 / 5 / 1993 को एक इकरारनामा निष्पादित किया था। जिसमें प्रार्थी कैलाश स्वयं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पिता की मृत्यु पश्चात जो विरासत का नामान्तकरण खोला जायेगा उसमें प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नही होगा तथा 06 भाईयों का ही उक्त भूमि में लेना देना होगा तथा विक्रय पत्र व इकरारनामें से पूर्व पंच पटेला के द्वारा भी दिनांक 20 / 1 / 1993 को लिखावट लिखी गई थी। जिसमें भी प्रार्थी इकरारनामें में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया गया रहा हैं। उसके उपरान्त भी प्रार्थी ने जानबूझकर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर बदनियती पूर्वक पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण मे भी प्रार्थी ने अपना नाम भी दर्ज करवा लिया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कही भी यह अंकित नही किया गया कि उक्त भूमि का राजस्व कर्मचारियों द्वारा जो रकबा कम किया गया है वह किस खातेदार की भूमि में कितना दर्ज किया गया है एवं प्रार्थी का कितना रकबा कम किया गया ना ही इस संबंध में प्रार्थी ने अपने वाद के साथ कोई दस्तावेज पेश किये हैं। प्रार्थी का वाद अपूर्ण एवं अस्पष्ट होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी उक्त भूमि के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष एक अन्य वाद उनवानी कैलाश बनाम बाबूलाल वाद संख्या 29 / 2020 प्रसतुत किया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दि[illegible] आदेश 9 नियम 5 एवं अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका [illegible] स्थिति में अब प्रार्थी पुन स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में पुनः नया वाद ला[illegible] कानूनन [illegible]कारी नही हैं। प्रार्थी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जा[illegible] द्वारा मिन उत्तरदातागण को हैरान परेशान की नियत से उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का एवं अन्य वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 38 / 2025 उनवानी कैलाश बनाम विमल कुमार व अन्य प्रस्तुत किये एवं वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का उनवानी कैलाश बनाम बाबूलाल वाद संख्या 29 / 2020 प्रस्तुत किया जो दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:18:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

1/11/2022 को खारिज किया जा चुका है एवं इसी भूमि बाबत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर० एक्ट प्रार्थना पत्र संख्या 148/2024 उनवानी कैलाश बनाम सरकार व अन्य जो खारिज हो चुका है एवं प्रार्थना पत्र धारा 136 एल०आर० एक्ट प्रार्थना पत्र संख्या 05/2025 उनवानी कैलाश बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद केवल मात्र मिंन उत्तरदातागण को हैरान परेशान करने की गरज से पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः अप्रार्थीगण संख्या की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया।

गुण–दोष (Merit) पर न्यायालय का विश्लेषणः न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड और उभयपक्षों के तर्कों का सूक्ष्मता से अनुशीलन किया। विपक्षीगण की आपत्तियों को निम्नलिखित विधिक आधारों पर खारिज किया जाता हैः **प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie Case):** वर्तमान जमाबंदी के अनुसार विवादित खसरा नंबर 722 में प्रार्थी "कैलाश" का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। राजस्व कानून के अनुसार, दर्ज खातेदार को अपनी भूमि के शांतिपूर्ण उपयोग का पूर्ण अधिकार है। **निरंतर हस्तक्षेप का आधारः** विपक्षीगण का यह तर्क कि पूर्व के वाद खारिज हो चुके हैं, वर्तमान परिस्थितियों में प्रभावी नहीं है, क्योंकि अतिक्रमण या सीमा उल्लंघन का प्रत्येक नया प्रयास "New Cause of Action" (वाद का नया कारण) उत्पन्न करता है। **सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः** यदि विपक्षीगण को विवादित भूमि पर निर्माण करने से नहीं रोका गया, तो भूमि का मूल स्वरूप नष्ट हो जाएगा, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में संभव नहीं होगी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र गुण–दोष पर स्वीकार (Accepted on Merits) किया जाता है दिनांक 25.06.2025 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:18:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर